



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/ 931

10.03.2026

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता का शुभारंभ – निर्यात प्रोत्साहन

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि **निर्यात प्रोत्साहन मिशन** के अंतर्गत **ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता** शुरू करने के संबंध में डीजीएफटी ने दिनांक 6 मार्च 2026 को व्यापार सूचना संख्या 31/2025-26 जारी की है। इस पहल का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्यरत निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता ढांचे को मजबूत करना है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और तरलता में वृद्धि हो सके।

दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

उद्देश्य:

1. इस पहल का उद्देश्य ई-कॉमर्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल MSMEs के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच बढ़ाना है, जिससे वे अनुमानित मांग से पहले माल की खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकें
2. ई-कॉमर्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के परिवर्तनशील नकदी प्रवाह पैटर्न के अनुरूप लचीले पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करके, यह पहल ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार को बढ़ावा देकर व्यापक स्तर पर प्रभाव प्राप्त करने का प्रयास करती है।

पात्रता, कार्यक्षेत्र और कवरेज:

1. सक्रिय आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) (अस्वीकृत इकाई सूची (डीएल) में शामिल नहीं) और वैध एमएसएमई उद्यम पंजीकरण संख्या रखने वाले एमएसएमई (ई-कॉमर्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल) इस हस्तक्षेप के तहत ऋण सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. घरेलू ई-कॉमर्स का पूर्व अनुभव रखने वाले नए MSME, जो ई-कॉमर्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल हैं, कम से कम एक वर्ष के नियमित घरेलू ई-कॉमर्स संचालन के अधीन पात्र होंगे।
3. उपर्युक्त पात्रता के अनुसार निर्यातकों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:
 1. डाक या कूरियर के माध्यम से निर्यात करने में कम से कम छह महीने का सिद्ध अनुभव।
 2. वर्तमान में माल का भंडार ई-कॉमर्स निर्यात पूर्ति के लिए विदेशी गोदामों में रखा गया है।
 3. वर्तमान में स्टॉक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब (ईसीईएच) सुविधा के तहत स्थापित गोदामों में रखा गया है।

विस्तृत नीतिगत ढांचा परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

परिचालन एवं प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश परिशिष्ट-II में संलग्न हैं।

शासन संरचना परिशिष्ट-III में संलग्न है।

इस पहल को प्रतिक्रिया, संस्थागत ज्ञानवर्धन और डेटा-आधारित सुधारों के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा। प्रायोगिक कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश परिशिष्ट-IV में संलग्न हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दिए गए व्यापार नोटिस में विस्तृत नीतिगत ढांचा, परिचालन एवं प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और शासन संरचना देखें:

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202603090628_50.pdf

सदस्य इस व्यापार सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से epm-dgft@gov.in पर दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी एक प्रति bharti@plexconcil.org को भी भेजी जानी चाहिए।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर धन्यवाद

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल

